

न्यायालयश्रीमान राजस्व मण्डल ज्वालियर म.न्न.बैंग रोवा म.न्न.



रु 20/-

R 320-II 114

श्रीमती रेता मिश्रा पत्नी श्रीछविनाथ मिश्रा, नि.ग्राम बद्वार,

तह. गुढ, जिला-रोवा म.न्न. --- आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री... सुराजनीवासकप
द्वारा आज
प्रस्तुत किए
16.12.2013 के

बनाय

- टिक्ट कोटी रेता 1. इयामीक्षोर तनय रामकारण राम तिवारी
2. इयामद्वन्द्व तनय रामकारण राम तिवारी
3. हुण्ड्रु कुमार तनय रामकारण राम तिवारी

सभी नियासी ग्राम दादर, तह. मझौली, जिला-सोधी म.न्न.

4. नफ्तेजो राम तनय स्कमणी प्रसाद तिवारी, नि.ग्राम दादर,
तह. मझौली, जिला-सोधी म.न्न. --- अन्विदक/गैर निगरानीकर्ता/गण

निगरानी पिरह गाँडेश भवर आद्यक्त महोदय,

रोवा, रीभाग रोवा के प्रकरण क्र.45 अपोल/

2008-09 आदेश दि. 17.10.2013 अंतर्गत

धारा 50 म.न्न. भू-रा.री.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

1. यह एक जाराजी छारा क्र.216 रक्खा ०.०५० है. छारा क्र.252
रक्खा 21950 है. छारा क्र.254 रक्खा ०.६१० है. स्थित ग्राम रामद्वार
प.ह.सीहगढ़ा रा.नि.म. मझास, तह. मझौली जिला-सोधी म.न्न.
के छुमिल्पामो नफ्तेजो राम तनय स्कमणी प्रसाद तिवारी, नि.ग्राम
रेता मिश्रा क्रमाः.

12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 320-८१४.....जिला ग्वालियर

72

रेखा मिट्टा | २५०८/१८१५

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.10.15 - 59)	<p>1- ओवेंट्रो तथा आम्बाष्टु द्वचना उपरात उपायित नहीं है।</p> <p>2- अनावृद्ध ग्राम तथा अधि. वाया. को आम्लेश्य तहत नहीं है।</p> <p>3- वास्ते विचारान्वय पेशी लगी। 16-12-15</p>	आदा से कृष्ण
16.12.15 - 117)	<p>1- ओवेंट्रो आम्बाष्टु द्वचना उपरात लगातार कई प्राचीपों से उपायित नहीं हो रहे हैं। आम्बाष्टु द्वारा मोदबद्दु से वराण्य ग्राम ग्राम इस प्रकार को अपने नहीं चलाया चाहते हैं।</p> <p>2. वास्ते विचारान्वय पेशी लगी। 20-1-16</p>	आदा से कृष्ण
20-1-16. 8-	<p>1- प्रकारा प्रस्तुत।</p> <p>2- ओवेंट्रो तथा उनके आम्बाष्टु की सुरेंद्र ग्रामालय द्वचना उपरात लगातार नई प्राचीपों से उपायित नहीं हो रहे हैं। अतः लंहित यी द्वारा ३५८३ के रहत अपने पैरेंड्री में खाली किया जाता है।</p> <p>3. अदेश यी ग्रामी अधि. वाया. को भेजी गयी तथा प्रकारा पर्वी से लगात होकर चल रहे हैं।</p>	सदर्य सदर्य